उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–956/71–1–12–जी0–79/2014
लखनऊः दिनांकः 13मार्च, 2014

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के विरूद्ध प्रवक्ता डेन्टेस्ट्री के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयेाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या–171/07/सेवा–8/2012–13, दिनांक 04.03.2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 भावना सिंह, 19, कमला नेहरू रोड पुराना कटरा, इलहाबाद–211001 (श्रेणी महिला) को प्रवक्ता, डेन्टेस्ट्री के पद पर राजकीय मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में वेतन बैण्ड रू0 15600–39100, ग्रेड पे0 रू0 5400/– में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) डा0 भावना सिंह को प्रवक्ता, के पद/वेतनमान के अनुरूप समय–समय पर प्रदत्त शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

(2) डा0 भावना सिंह एक माह के अन्दर अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु डा0 भावना सिंह को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।

(4) डा0 भावना सिंह को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होंगा।

(5) उक्त नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापको की सेवा नियमावली–1990 तथा यथासंशोधित नियमावली के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम–18 के अन्तर्गत परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।

(6) डा0 भावना सिंह को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व डा0 भावना सिंह को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगेः–

1. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हो, द्वारा प्रदत्त अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप में)
2. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
3. ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण–पत्र।

4. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

5. चल तथा अचल संपत्ति का प्रमाण– पत्र।

6. एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण– पत्र।

4– डा0 भावना सिंह को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा डा0 भावना सिंह से इस आशय का शपथपत्र ले लिया जाय कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

बी0 एस0 भुल्लर
प्रमुख सचिव

संख्या–956(1)/71–1–12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर डाल दें।
3– प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
4– कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5– सचिव, लोक सेवा आयेाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।
7– संबंधित चिकित्सा शिक्षक।
8– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
9– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,
(शिवराम त्रिपाठी)
उप सचिव

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश ।

संख्याःएम0ई0–2/2014/551-552 लखनऊ दिनॉक 14 मार्च, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

R.S. 1

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक

(एल0एस0राक्त)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
कृते–महानिदेशक